प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 11.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों, बस स्टैण्ड में भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 27.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद की पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु व्यापक अभियान चलाया गया।

जनपद के समस्त थानाक्षेत्रों में पुलिस बल द्वारा बैंकों का गहन निरीक्षण किया गया, जिसमें बैंक परिसर में लगे सुरक्षा उपकरणों अग्निशामक यंत्र, अलार्म सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे आदि की कार्यशीलता की जाँच की गई। बैंक के आस-पास खड़े संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की भी सघन चेकिंग की गई।

इसके अतिरिक्त बस स्टैण्ड क्षेत्र में गश्त करते हुए विभिन्न बसों एवं ऑटो वाहनों की तलाशी ली गई एवं संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर आवश्यक पूछताछ की गई। यात्रियों से संवाद स्थापित करते हुए सुरक्षा संबंधी सुझाव लिए गए एवं उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी गई।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो एवं आमजन में सुरक्षा का विश्वास सुदृढ़ हो।

जनपद पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें तथा शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें।

इसी क्रम में आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

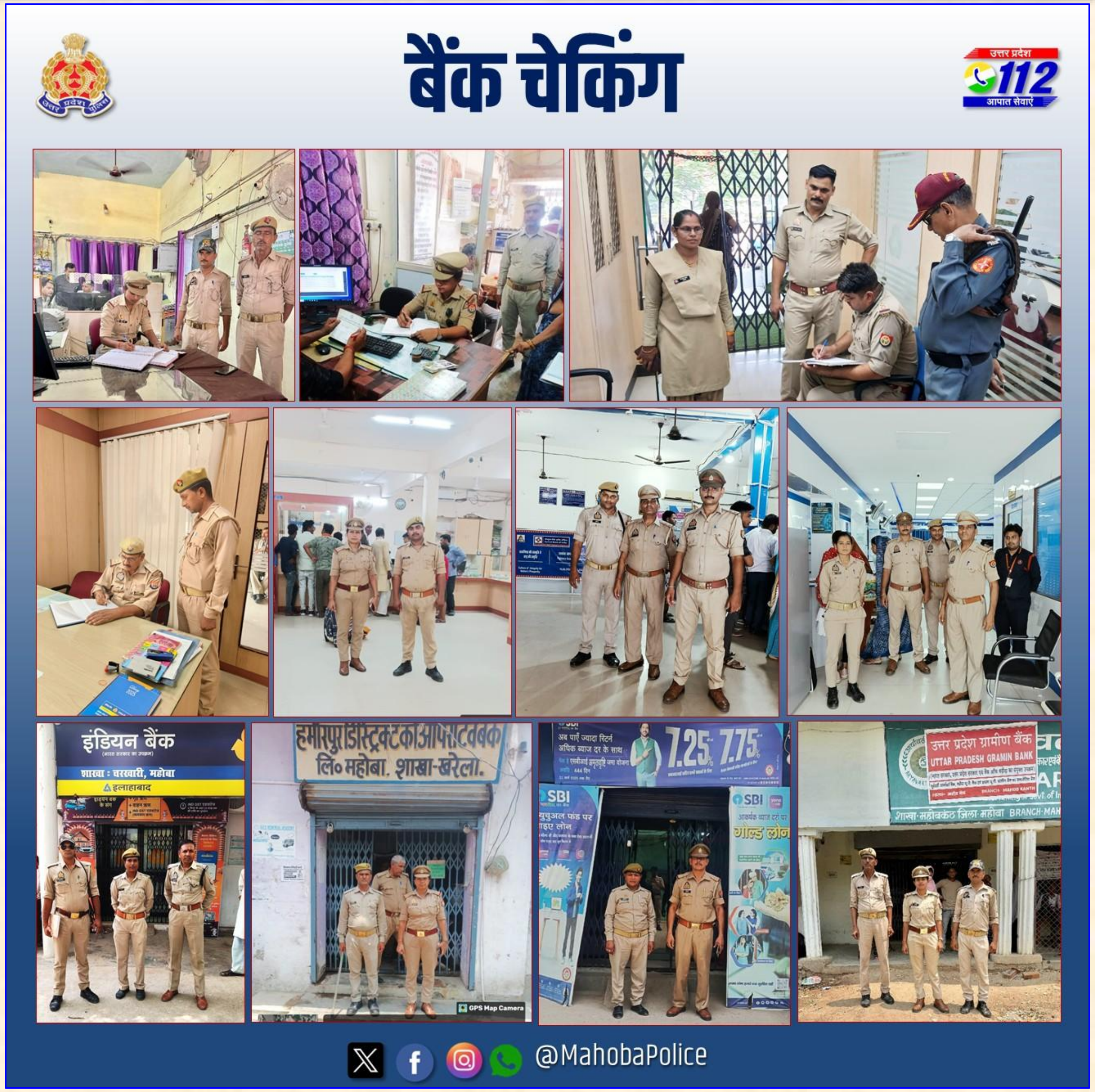

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक- 27.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी चरखारी श्री रमेश कुमार यादव द्वारा गठित उ0नि0 अर्जुन प्रसाद पटेल मय हमराह कां0 महेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त सुनील उर्फ बालेन्द्र पुत्र दौलत खंगार उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम कनेरा थाना चरखारी जनपद महोबा सम्बन्धित भरण पोषण याचिका संख्या 160/2024 में मा0 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम कनेरा थाना चरखारी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अर्जुन प्रसाद पटेल
2. कां0 महेश कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुनील उर्फ बालेन्द्र पुत्र दौलत खंगार उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम कनेरा थाना चरखारी जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

जनपदीय एसओजी एवं थाना कबरई की संयुक्त पुलिस टीम ने पिछले दिनों हुई हत्या की घटना का किया सफल अनावरण, हत्या करने वाले पति-पत्नी मय आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार, पूर्व प्रेम प्रसंग रहा मौत का कारण –

दिनांकः 24.05.2025 को थाना कबरई क्षेत्रअन्तर्गत ग्राम बघारी के पास स्थित सिद्ध बाबा मंदिर के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव प्राप्त होने की सूचना पर जनपदीय पुलिस प्रशासन के उच्चाधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस एवं फील्डयूनिट के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था, निरीक्षण के दौरान घटना स्थल पर मिली मोटरसाइकिल जिस पर दीपक मौदहा यूट्यूबर अंकित था जिससे जानकारी पर मृतक की शिनाख्त मनीष उर्फ मंगल पुत्र खुशाला निवासी राग़ौल कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर के रुप में हुई, इस दौरान घटना स्थल से कई अहम साक्ष्य संकलित किये गये थे। प्रकरण में मृतक के परिजनों से संपर्क किया गया व प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कबरई में मु.अ.सं. 152/25 धारा 103(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा उक्त घटित घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया जिसके क्रम में घटना के सफल अनावरण किये जाने व घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की शीघ्र गिऱफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए जनपद स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय एसओजी एवं थाना कबरई के संयुक्त नेतृत्व में 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम ने हत्या के इस गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई के दौरान एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए दिनांक 26.05.2025 को घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1. लोकेश पुत्र मैकू कुशवाहा (उम्र 23 वर्ष) 2.श्रीमती सीमा पत्नी लोकेश (उम्र 20 वर्ष), निवासीगण ग्राम टीहर, थाना बिवांर, जनपद हमीरपुर को मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के ऐचाना रोड, ग्राम सुरहा, थाना कबरई से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बांस का डंडा, चाकू, तमंचा आदि सिद्ध बाबा मंदिर के पास खेतों व नहर के पास से बरामद किए गए है।

अभियुक्तों के कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 3(5) बीएनएस 3/25 शस्त्र अधि0 की बढोत्तरी की गयी है सथ ही अभियुक्तों के कब्जे से बरामद एक मोटरसाइकिल (UP 91 X 1030), जिसे बिना कागजात पाए जाने पर धारा 207 MV Act के तहत सीज किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में महिला अभियुक्त सीमा ने बताया कि उसकी शादी से पहले मृतक मनीष उर्फ मंगल लोहपीटा से जान-पहचान थी। शादी के बाद भी मनीष उसका पीछा करता था और दबाव बना रहा था। इससे परेशान होकर सीमा व उसके पति लोकेश ने उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई। 24.05.2025 को दोनों ने मनीष को सिद्ध बाबा मंदिर के पास बुलाकर खेत में ले जाकर बांस के डंडे, चाकू और तमंचे की बट से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी थी।

महोबा पुलिस

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. लोकेश पुत्र मैकू कुशवाहा उम्र करीब 23 वर्ष
2. श्रीमती सीमा पत्नी लोकेश उम्र करीब 20 वर्ष

निवासीगण ग्राम टीहर थाना बिवांर जनपद हमीरपुर

बरामदगी विवरण-

- 01 अदद मोटा बांस का डंडा
- 01 अदद चाकू
- 01 अदद 12 बोर का तमंचा, 01 अदद झोला, 01 अदद चप्पल
- 01 अदद मो0सा0 UP 91 X 1030 जिसे अन्तर्गत धारा 207 एमबी एक्ट मे सीज किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण –

थाना कबरई पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष कबरई, सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया
2. व0उ0नि0 मलखान सिंह 3. उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा
4.हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद 5.कां0 राहुल अग्निहोत्री 6. कां0चालक प्रमोद कुमार
7. म0कां0 अनामिका देवी

जनपदीय एसओजी टीम-

1.उ0नि0 शिवप्रताप सिंह, प्रभारी एसओजी टीम
2.कां0 दीपक वर्मा 3.कां0 रंजीत सिंह 4.कां0 आशीष बघेल
5.कां0 कुलदीय यादव 6.कां0 सत्यम 7.कां0 अभिषेक दुबे